भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-एल.डी.-अ.-27092023-1260

असाधारण EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

SG-LD-E-27092023-1260

लद्दाख, 26 सितंबर, 2023 LADAKH, TUESDAY, SEPTEMBER, 26, 2023

Part II - Section 3

केन्द्र-शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन ADMINISTRATION OF UNION TERRITORY OF LADAKH

अधिसूचना लद्दाख, 16 मई 2023

क्रमांक:- 02 - 1987 (1987 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 39) में निहित सक्षम प्रावधानों के साथ पठित संघ राज्य लद्दाख के कानूनी सेवा प्राधिकरण विनियमन, 2021 के विनियम 26 एवं दिनांक 09 अप्रैल, 2020 के क.आ. 13 के माध्यम से अधिसूचित संघ राज्य लद्दाख के कानूनी सेवा प्राधिकरण नियम, 2020द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश (संरक्षक-प्रमुख)कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम,संघ राज्य प्रशासन लद्दाख एतदद्वारासंघ राज्य लद्दाख कानूनी सेवा प्राधिकरणों/समितियों (अधिकारी और कर्मचारी) भर्ती नियम, 2021 की अनुसूची । में निम्नलिखित संशोधन करतेहैं: -

अनुसूची । के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें:-

अनुसूची ।

संघ राज्य लद्दाख कानूनी सेवा प्राधिकरण/सिमितियां (अधिकारी और कर्मचारी) भर्ती नियम, 2021 के नियम 4(1) को देखें।

प्रशासनिक संवर्ग

क्र. सं.	पद	मौजूदा वेतनमान	पदों की कुल संख्या
01	सदस्य सचिव	जैसा कि पद पर	01
		आसीन व्यक्ति पर	
		लागू हो।	
02	सचिव, जिला विधिक	जैसा कि पद पर	02
	सेवा प्राधिकरण	आसीन व्यक्ति के	
	(डीएलएसए)	लिए लागू हो	
03	अवर सचिव	स्तर8	01
		47600-151100	

मंत्री स्तरीय संवर्ग

क्र. सं.	पद	मौजूदा वेतनमान	पदों की कुल संख्या
1	2	3	4
04	अनुभाग अधिकारी	स्तर-7	01
		44,900-1,42,400	
05	प्रधान सहायक	स्तर। 6B	01
		35,400-1,12,400	
06	लेखा लिपिक	स्तर।-6	01
		29,200-92,300	
07	वरिष्ठ सहायक	स्तर।-5	01
		29,200-92,300	
08	आशुलिपिक टंकक	स्तर।-5	03
		25,500-81,100	
09	कनिष्ठ सहायक	स्तर।-4	08
		25,500-81,100	

कानूनी संवर्ग

क्र. सं.	पद	मौजूदा वेतनमान	पदों की कुल संख्या
10	विधि सहायक	स्तर- 6E	

		35,900-1,13,500	
11	कनिष्ठ कानूनी	स्तर-6B	
	सहायक	35,400-1,12,400	

अवर संवर्ग

क्र. सं.	पद	मौजूदा वेतनमान	पदों की कुल संख्या
12	ड्राइवर	स्तर-4	03
		25,500-81,100	
13	अर्दली	स्तर-1	10
		16,900-53,500	

NOTIFICATION

Ladakh, the 16th day of May, 2023

No:- 02 - In exercise of the powers conferred by Regulation 26 of the Union Territory of Ladakh Legal Services Authority Regulation, 2021, read with the enabling provisions contained in the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act No. 39 of 1987) and the Union territory of Ladakh Legal Services Authority Rules, 2020,notified vide S.O 13 dated 09th of April, 2020, by the Administration of Union territory of Ladakh. The Hon'ble Chief Justice of High Court of J&K and Ladakh (Patron-in-Chief), Union territory of Ladakh Legal Services Authority, hereby amends the Schedule I of the Union territory of Ladakh Legal Services Authorities/Committees (Officers and Employees) Recruitment Rules, 2021as following: -

For Schedule I substitute the following: -

Schedule I

[Refer to Rule 4(1) of the Union territory of Ladakh Legal Services Authorities/Committees (Officers and Employees) Recruitment Rule, 2021]

Administrative Cadre

S. No	Designation	Existing Pay Scale	Total No. of Posts
1	2	3	4
01	Member Secretary	As may be applicable to the incumbent of the post.	01
02		As may be applicable to the incumbent of the post	02
03	Under Secretary	Level-8 47600-151100	01

Ministerial Cadre

S. No	Designation	Existing Pay Scale	Total No. of Posts
1	2	3	4
04	Section Officer	Level-7	01
		44,900-1,42,400	
05	Head Assistant	Level 6B	01
		35,400-1,12,400	

06	Accounts Clerk	Level-6	01
		29,200-92,300	
07	Senior Assistant	Level-5	01
		29,200-92,300	
80	Steno Typist	Level-5	03
		25,500-81,100	
09	Junior Assistant	Level-4	08
		25,500-81,100	

Legal Cadre

S. No	Designation	Existing Pay Scale	Total No. of Posts
10	Legal Assistant	Level 6E 35,900-1,13,500	01
		33,300-1,13,300	
11	Junior Legal	Level-6B	02
	Assistant	35,400-1,12,400	

Inferior Cadre

S. No	Designation	Existing Pay Scale	Total No. of Posts
12	Driver	Level-4 25,500-81,100	03
13	Orderly	S. Level-1 16,900-53,500	10

(Spalzes Angmo)Member Secretary

[&]quot;No legal responsibility is accepted for the contents of publication of advertisements/publications in this part of The Ladakh Gazette. Persons notifying the advertisements/public notices will remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc."

भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**



एस.जी.-एल.डी.-अ.-27092023-1259 SG-LD-E-27092023-1259

असाधारण **EXTRAORDINARY** प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

लद्दाख, 26 सितंबर, 2023 LADAKH, TUESDAY, SEPTEMBER, 26, 2023

Part II - Section 3

केन्द्र-शासित प्रदेश लददाख प्रशासन ADMINISTRATION OF UNION TERRITORY OF LADAKH

अधिसूचना

लद्दाख, 17 अगस्त 2021

क्रमांक:- 03 - 1987 (1987 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 39) में निहित सक्षम प्रावधानों के साथ पठित संघ राज्य लद्दाख के कान्नी सेवा प्राधिकरण विनियमन, 2021 के विनियम 26 एवं दिनांक 09 अप्रैल, 2020 के क.आ. 13 के माध्यम से अधिसूचित संघ राज्य लद्दाख के कानूनी सेवा प्राधिकरण नियम, 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयजम्मू-कश्मीर और लद्दाख [संघ राज्य लद्दाख के कानूनी सेवा प्राधिकरण के संरक्षक-प्रम्ख.] निम्नलिखित नियमबनातेहैंयथा :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:

- (1) इन नियमों को संघ राज्य लद्दाख कानूनी सेवा प्राधिकरण/समितियां (अधिकारी और कर्मचारी) भर्ती नियम, 2023 कहा जाएगा ।
- (2)यह नियम लागू होने के तत्काल समय से प्रभाव में आएंगे।

2. परिभाषाएँ

इन नियमों में, जब तक कि अन्यथा संदर्भितन हो-

- क) "बोर्ड" का अर्थ है सेवा के संवर्ग में सीधी भर्ती या पदोन्नति के माध्यम से रिक्त पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया को पूरा करने के उद्देश्य से गठित चयन बोर्ड या विभागीय पदोन्नति समिति;
- ख) कैडर" का अर्थ है सेवा का कैडर;
- ग) **"मुख्य न्यायाधीश**" का अर्थ है जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश;
- घ) **सक्षम प्राधिकारी**" का अर्थ है संघ राज्य लद्दाख कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष;
- ङ) प्रतियोगी परीक्षा" का अर्थ इन नियमों द्वारा निर्धारित एक लिखित परीक्षा या परीक्षण है जिसमें ऐसे पाठ्यक्रम और चयन का तरीका शामिल है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उसके आदेशों के तहत समय-समय पर प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों की शॉर्ट-लिस्टिंग के लिए आयोजितिकया जाएगा । किए गए उम्मीदवारों की शॉर्ट-लिस्टउनके मौखिक/लिखित परीक्षा में प्राप्त योग्यता के आधार पर होगा ।
- च) "सरकार" का अर्थ है संघ राज्यप्रशासन लद्दाख;
- **छ) "उच्च न्यायालय**" का अर्थ उच्च न्यायालय जम्मू-कश्मीर और लद्दाख है;
- ज) "संघ राज्य लद्दाख का निवासी" का अर्थ है कि कोई व्यक्ति जो किसी भी कानून, नियम या विधिक बिंदु में लद्दाख संघ क्षेत्र में राज्य प्रशासन के तहत रोजगार के लिए उपयुक्तता के रूप में निर्धारित निवास मानदंडों को पूरा करता है।
- i) "सेवा" का अर्थ है संघ राज्य लददाख कान्नी सेवा प्राधिकरण/समिति सेवा;

3. सेवा का गठन

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से,संघ राज्य लद्दाख कानूनी सेवा प्राधिकरण/समिति सेवा का गठन किया जाएगा;

बशर्ते कि सेवा के प्रारंभिक गठन के लिए, कानूनी सेवा प्राधिकरणों/सिमितियों में वास्तिवक आधार पर स्वीकृत पद पर नियुक्त और पद धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को इन नियमों के तहत सेवा में नियुक्त माना जाएगा;

4. सेवाओं की संख्या और संरचना

(1)सेवा के संवर्ग की अधिकृत स्थायी और अस्थायी संख्या और इसमें शामिल पदों के स्वरूप को समय-समय पर सरकार की स्वीकृति के साथ मुख्य न्यायाधीश / संरक्षक-प्रमुख द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा, और इन नियमों के तहत सेवा का आरंभिक गठन इन नियमों से जुड़ी अनुसूची में दिए गए निर्देश अनुसार होगा।

बशर्ते कि मुख्य न्यायाधीश सरकार की पूर्व मंजूरी से सेवा के कैडर में निर्दिष्ट अविध या उद्देश्यों के लिए अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसा कि संरक्षक-प्रमुख और/ कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर आवश्यक समझ जाता है।

(2) मुख्य न्यायाधीश हर तीन सालोंमें या ऐसे अन्य अंतराल में, सेवा के कैडर की ताकत और संरचना की फिर से जांच कर सकते हैं जैसा कि आवश्यक हो,और उसमें ऐसे बदलाव कर सकते हैं जो कार्यकारी अध्यक्ष के सिफ़ारिश और सरकार की पूर्व अनुमति से उचित समझें।

5. सेवा में भर्ती की योग्यता एवं विधि

- (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में शामिल किसी भी वर्ग, श्रेणी या ग्रेड में किसी भी पद पर नियुक्ति या पदोन्नित के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसके पास इन नियमों की अनुसूची ॥ में निर्धारित योग्यता और अनुभव न हो, और सामान्य तौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए उस समय लागू नियमों और आदेशों में प्रदान की गई भर्ती की अन्य आवश्यकताओं को पूरा न करताहो।
- (2)सेवा में नियुक्ति निम्नानुसार की जाएगी:
- क) सीधी भर्ती द्वारा, जिसमें उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों या सरकार से व्यक्तियों के स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति शामिल होगी।
- बी) पदोन्नति द्वारा; और
- ग) क्छ सीधी भर्ती द्वारा और क्छ पदोन्नति द्वारा।

बशर्ते कि उच्च न्यायालय और/या अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना पर स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त ऐसे किसी भी व्यक्ति को कानूनी सेवा प्राधिकरणों/समितियों की सेवा में स्थायी रूप से शामिल किया जा सकता है, अगर उसके पास पद के लिए आवश्यक योग्यता है तो।

बशर्ते कि स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति के अलावा सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाएगी।

बशर्ते कि उम्मीदवारों का चयन समय-समय पर कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा गठित और/या नामांकित सदस्य सचिव सहित दो या अधिक अधिकारियों वाले बोर्ड द्वारा किया जाए।

6. परिवीक्षा

- (1) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त व्यक्ति दो साल के लिए परिवीक्षा पर होंगे और उनकी
- पुष्टि संघ राज्य लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों पर लागू सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों के प्रावधानों के तहत की जाएगी।
- (2) इन नियमों के तहत सेवा में नियुक्त व्यक्ति का वेतन सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सिविल सेवा विनियमों या सामान्य नियमों के प्रावधानों के अन्सार दिया जाएगा।

7. नियुक्तियों में आरक्षण

स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के अलावा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियाँ करते समय आरक्षण समय-समय पर जारी किए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

8. प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा

सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त व्यक्तियों को परिवीक्षा के दौरान ऐसे प्रशिक्षण से गुजरना होगा और परिवीक्षा अविध के दौरान ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी जो समय-समय पर निर्धारित की जा सकती है।

9. सीधी भर्ती हेतु सरकारी सेवकों की योग्यता

सरकारी सेवा में पहले से ही कार्यरत व्यक्ति सेवा में किसी विशेष वर्ग या श्रेणी में रिक्त पद पर सीधी भर्ती के लिए उचित माध्यम से आवेदन कर सकता है, यदि उसके पास ऐसे वर्ग या श्रेणी के पद पर भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं हैं तो। ऐसे सरकारी सेवकों की ऊपरी आयु सीमा वह होगी जो समय-समय पर संघ राज्य लद्दाख के प्रशासन द्वारा जारी किए गए सामान्य आदेशों में प्रदान की गई है:

बशर्ते कि ऐसे पद के मामले में जिसके लिए उच्च डिग्री या योग्यता, विशेषज्ञता और/या अन्भव की आवश्यकता हो तोवहाँकार्यकारी अध्यक्ष आय् सीमा को बढ़ा सकतेहैं।

10 वरिष्ठता सूची का रखरखाव

सेवा के सदस्यों की विरष्ठता को संघ राज्य लद्दाख के कर्मचारियों पर लागू सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों के तहत विनियमित किया जाएगा।

11. नियुक्ति के लिए अयोग्यता

कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह व्यक्ति संघ राज्य लद्दाख का निवासी न हो।

बशर्ते कि यह नियम जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 89 (2) के प्रावधानों या प्रशासन द्वारा निर्धारित ऐसे नियमों के तहत संघ राज्य लद्दाख में आवंटित सेवा वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।

12. छूटका अधिकार

"इन नियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद, जब कार्यकारी अध्यक्ष को यह संतोष होता है कि किसी नियम के प्रावधान के प्रयोग से किसी विशेष मामले में अनापेक्षिक कठिनाई होती है

या हो सकती है, तो वह आदेश द्वारा उस नियम की आवश्यकताओं को या तो खारिज कर सकते हैं या फिर उसे उस सीमा तक और उन शर्तों के साथ हल्का कर सकते हैं, जैसा कि मामले को न्यायसंगत तरीके से निपटने के लिए वे आवश्यक मानते हैं; बशर्ते कि मामले को नियमों के अनुसार और संबंधित के अनुकूल निपटाया जाए।

13. अवशिष्ट मामले

इन नियमों द्वारा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किए गए मामलों के संबंध में, सेवा के सदस्य सामान्य रूप से संघ राज्य लद्दाख में सिविल सेवाओं पर लागू नियमों/विनियमों और आदेशों दवारा शासित होंगे।

"बशर्ते कि जहां उपर्युक्त नियमों में उल्लिखित मामलों से संबंधित किसी भी शिक्त का प्रयोग किसी भी नियम के तहत सरकार द्वारा संभावित हो, तो इन नियमों के अनुसार, उसी शिक्त का प्रयोग मुख्य न्यायाधीश/ संरक्षक-प्रमुख द्वारा किया जाएगा, और उस शिक्त को तबतक विभाग की मंजूरी की आवश्यकता न होसरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश के पास माना जाएगा।"

14. खंडन और बचत

- (1) इन नियमों के अनुरूप और इन नियमों के प्रारंभ होने से तुरंत पहले लागू होने वाले सभी नियम निरस्त किए जाते हैं।
- (2) ऐसे निरसन के बावजूद, इस प्रकार नियमों के प्रावधानों के तहत की गई कोई भी नियुक्ति, आदेश या की गई कार्रवाई इस नियम के संबंधित प्रावधानों के तहत की गई मानी जाएगी।

15. व्याख्या

(1) यदि इसमें शामिल किसी भी नियम के आवेदन या व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता हैतो, उसे कार्यकारी अध्यक्ष और/ या मुख्य न्यायाधीश/ संरक्षक-प्रमुख,को जैसा भी मामला हो भेजा जाएगा, और उनका निर्णय अंतिम एवं अनिवार्य होगा।

16. प्रतिनिधि-मंडल

मुख्य न्यायाधीश/ संरक्षक-प्रमुख, एक विशेष या सामान्य आदेश द्वारा, इन नियमों के तहत प्रदत्त या प्राप्त सभी या कोई भी शक्ति और कार्यों को कार्यकारी अध्यक्ष को सौंप सकते हैं।

सदस्य सचिव

अनुसूची ।

संघ राज्य लद्दाख कानूनी सेवा प्राधिकरण/सिमितियां (अधिकारी और कर्मचारी) भर्ती नियम, 2021 का नियम 4(1)देखें।

प्रशासनिक संवर्ग

क्र. सं.	पद	मौजूदा वेतनमान	पदों की कुल संख्या
01	सदस्य सचिव	जैसा कि पद पर	01
		आसीन व्यक्ति पर	
		लागू हो।	
02	सचिव, जिला विधिक	जैसा कि पद पर	02
	सेवा प्राधिकरण	आसीन व्यक्ति के	
	(डीएलएसए)	लिए लागू हो	
03	अवर सचिव	स्तर 8	01
		47600-151100	

मंत्री स्तरीय संवर्ग

क्र. सं.	पद	मौजूदा वेतनमान	पदों की कुल संख्या
1	2	3	4
04	अनुभाग अधिकारी	स्तर-7	01
		44,900-1,42,400	
05	प्रधान सहायक	स्तर- 6B	01
		35,400-1,12,400	
06	लेखा लिपिक	स्तर-6	01
		29,200-92,300	
07	वरिष्ठ सहायक	स्तर-5	01
		29,200-92,300	
08	आशुलिपिक टंकक	स्तर-5	03
		25,500-81,100	
09	कनिष्ठ सहायक	स्तर-4	08
		25,500-81,100	

कानूनी संवर्ग

क्र. सं.	पद	मौजुदा वेतनमान	पदों की कल संख्या
V V			3

10	विधि सहायक	स्तर- 6E	
		35,900-1,13,500	
11	कनिष्ठ कान्	नी स्तर-6B	
	सहायक	35,400-1,12,400	

अवर संवर्ग

क्र. सं.	पद	मौजूदा वेतनमान	पदों की कुल संख्या
12	ड्राइवर	स्तर-4	03
		25,500-81,100	
13		स्तर-1	10
	अर्दली	16,900-53,500	

अनुसूची II

संघ राज्य लद्दाख कानूनी सेवा प्राधिकरण/समितियां (अधिकारी और कर्मचारी) भर्ती नियम, 2021 का नियम 5(1)देखें ।

क्र,सं.	वर्ग	श्रेणी	पद	मौजूदा	न्यूनतम	विधि के
				वेतनमान	योग्यता	लिए
					आवश्यक	आवश्यकता
					है	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	1	Α	सदस्य	जैसा कि	लागू नहीं	उच्च
			सचिव	पद पर	होता	न्यायिक
				आसीन		सेवा से
				व्यक्ति पर		प्रतिनियुक्ति
				लागू हो।		द्वारा
2		В	सचिव,	जैसा कि	लागू नहीं	न्यायिक
			जिला	पद पर	होता	सेवा से
			विधिक	आसीन		प्रतिनियुक्ति
			सेवा	व्यक्ति के		द्वारा
			प्राधिकरण	लिए लागू		
			(डीएलएसए)	हो		
3	II	Α	अवर सचिव	स्तर 8		i) वर्ग III
				47600-		और IX,
				151100		श्रेणी 'ए' से

			योग्यता-
			सह-
			वरिष्ठता के
			आधार पर
			पदोन्नति
			द्वारा, उस
			श्रेणी और
			वर्ग में
			न्यूनतम
			तीन वर्ष के
			वास्तविक
			अनुभव के
			साथ ।
			ii) यदि
			उपरोक्त
			वर्ग और
			श्रेणी में
			कोई
			उम्मीदवार ः
			उपलब्ध
			नहीं है, तो
			कानून और
			न्याय
			विभाग से
			प्रतिनियुक्ति द्वारा।
			द्वारा।

मंत्रिस्तरीय संवर्ग

			4	5	6.	7.
4	Ш	Α	अनुभाग	स्तर -7		i) उस वर्ग और श्रेणी
			उ अधिकारी	44,900-		में न्यूनतम तीन वर्ष
			3114-1/1(1	1,42,400		केअनिभव सह-

5	IV	A	मुनीम	स्तर 6B	लागूं नही	वरिष्ठता के आधार पर वर्ग V श्रेणी 'ए' से पदोन्नित द्वारा। ii) पदोन्नित के लिएकोई उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में सरकार से प्रतिनियुक्ति द्वारा। वित्त विभाग से
				35,600- 1,12,800	होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा।
6	V	A	प्रधान सहायक	स्तर 6B 35,600- 1,12,800		i) वर्ग VI, श्रेणी 'ए' से पदोन्नित द्वारा 50% और; ii) उस वर्ग और श्रेणी में न्यूनतम तीन वर्ष की वास्तिवक सेवा के साथ विरष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर वर्ग VII श्रेणी 'बी' से पदोन्नित द्वारा 50%
7	VI	A	वरिष्ठ सहायक	स्तर -5 29,200- 92,300		वर्ग VIII, श्रेणी 'ए' से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा, उस वर्ग और श्रेणी में न्यूनतम तीन वर्ष की वास्तविक सेवा के साथ।

8	VII	В	स्टेनो	स्तर -5	i)	शॉर्टहैंड
			टंकक-	29,200-		और
				92,300		ट्रांसक्रिप्श
						न परीक्षण
						के आधार
						पर 50%
						सीधी भर्ती
						द्वारा
						और
						प्रतिलेखन
						का
						मूल्यांकन
						उच्च
						न्यायालय
						द्वारा
						निर्धारित
						मानकों के
						आधार पर
						किया
						जाएगा
						और
					ii)	वर्ग VIII,
						श्रेणी 'ए'
						से
						पदोन्नति
						द्वारा
						वरिष्ठता-
						सह-
						योग्यता
						के आधार
						पर 50%,
						उस वर्ग

						और श्रेण	ft.
						में में	''
						_{न्यू} नतम	
						तीन सार	র
						की	.11
						वास्तविक	-
							, र्स
						साथ,	'
						आन, अंग्रेजी	
						शॉर्टहैंड	ř
						60 গ্ৰ	
						प्रति	
						मिनट र्व	गे
						गति औ	₹
						30 খভ	द
						प्रति	
						मिनट।	
						प्रतिलेखन	Γ
						में गति	,
						होनी	
						चाहिए	
9	VIII	Α	कनिष्ठ	स्तर -4	किसी भी	i) 75% प्रतियोग	IJ
			सहायक	25,500-	मान्यता प्राप्त	परीक्षा के आधार प	₹
				81,100	विश्वविद्यालय	सीधी भर्ती द्वार	Γ;
					से स्नातक,		
						ii) वर्ग XII की श्रेण	
					का ज्ञान और	'ए' में से मैट्रिकुलेश	न
					प्रति मिनट	योग्यता रखने वार	त्रे
					35 शब्द से	और वरिष्ठता व	ন
					कम गति		
					नहींहोनी	कम तीन साल र्व	गे
					चाहिए।	सेवा करने प	र

		पदोन्नति द्वारा
		25%, कंप्यूटर टाइप टेस्ट में अर्हता प्राप्त
		टेस्ट में अर्हता प्राप्त
		करने के लिए
		न्यूनतम गति प्रति
		मिनट25 शब्दों से
		कम नहीं होनी
		चाहिए। ।

कानूनी संवर्ग

			4.	5	6.	7
10	IX	Α	विधि सहायक	स्तर6E		योग्यता-
				35-900-		सह-
				1,13,500		वरिष्ठता
						के आधार
						पर वर्ग
						X, श्रेणी
						'ए' से
						पदोन्नति
						द्वारा,
						उस वर्ग
						में कम से
						कम तीन
						वर्ष की
						वास्तविक
						सेवा होने
						पर। और
						पिछले
						तीन वर्षीं
						की
						एसीआर
						के आधार

						पर मेरिट
						निर्धारित
						की जाएगी
11	X	Α	कनिष्ठ विधि सहायक	स्तर 6B	किसी भी	प्रतियोगी
				35,900-	मान्यता प्राप्त	परीक्षा के
				1,12,800	विश्वविद्यालय	आधार पर
					से कानून में	सीधी भर्ती
					ट्यावसायिक ः	द्वारा
					स्नातक की	
					डिग्री।	

अवर संवर्ग

1	2	3	4.	5.	6.					7	7.
12	ΧI	Α	ड्राईवर	स्तर-4	किसी	मान्यता	प्राप्त	बोर्ड	से	सीधी	भर्ती
				25,500-	मैट्रिकुले	ोशन, भर्त	र्वि के	समय	वैध	द्वार	ा और
				81,100	एलएम	वी/एचएमर्व	ो/एचजी	वी/पीए	सवी	अनुभ	ाव के
					लाइसेंस	ा होना चार्रि	हेए।			आधा	र पर
										प्रार्था	मेकता
										दी उ	गएगी
12	XII	Α	अर्दली	स्तर-1	किसी	मान्यता	प्राप्त	बोर्ड	से	बोर्ड	द्वारा
				16,900-	मैट्रिक					आयो	जित
				53,500						की	जाने
										वाली	
										मौखि	ोक
										परीक्ष	ग के
										आधा	र पर
										सीधी	भर्ती
										द्वार	TI

(एम.के. शर्मा) सदस्य सचिव

NOTIFICATION Ladakh, the 17thday of August, 2021

No:- 03 -In exercise of the powers conferred by Regulation 26 of the Union Territory of Ladakh Legal Services Authority Regulation, 2021 read with the enabling provisions contained in the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act No. 39 of 1987) and the U.T of Ladakh Legal Services Authority Rules, 2020, formed by the Administration of U.T of Ladakh vide Notification, S.O 13 dated 9th of April, 2020, Hon'ble the Chief Justice of High Court of J&K and Ladakh [Patron-in-Chief, U.T of Ladakh Legal Services Authority] makes the following Rules.-

1. Short title and Commencement:

- (1) These rules may be called the Union Territory of Ladakh Legal Services Authorities/Committees (Officers and Employees) Recruitment Rules, 2023.
- (2) They shall come into force with immediate effect.

2. Definitions

In these rules, unless the context otherwise requires; -

- a) "Board" means the Selection Board or the Departmental Promotion Committee constituted for the purposes of carrying out selection process for filling up of the vacant posts in the cadre of the Service, either by way of direct recruitment or by promotion;
- b) "Cadre" means the cadre of the Service;
- c) "Chief Justice" means the Chief Justice of the High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh;
- **d) "Competent Authority"** means the Executive Chairman of the Union territory of Ladakh Legal Services Authority;
- e) "Competitive Examination" means a written examination or test prescribed by these rules with such syllabus and mode of selection as may be laid down by or under the orders of the Competent Authority, from time to time, conducted for short-listing of the competing candidates on the basis of merit obtained in such written examination/test followed by viva voce of the shortlisted candidates;
- f) "Government" means the Administration of Union territory of Ladakh;
- g) "High Court" means the High Court Jammu & Kashmir and Ladakh;
- h) "Resident of Union territory of Ladakh" means any person who satisfies the criteria of residence as may be prescribed for the purpose of employment under the Administration of Union territory of Ladakh under any Act, Rule or Regulation having force of law in Union territory of Ladakh,
- i) **"Service"** means the Union territory of Ladakh Legal Services Authorities/Committees Service;

3. Constitution of Service

(1) From the date of commencement of these rules, there shall be constituted the Union territory of Ladakh Legal Services Authorities/Committees Service;

Provided that for the purpose of initial constitution of the Service, any person appointed to and holding a sanctioned post in the Legal Services Authorities/Committees on substantive basis shall be deemed to have been appointed to the Service under these rules;

4. Strength and Composition of the Services

(1) The authorized permanent and temporary strength of the cadre of the Service and the nature of the posts included therein shall be determined by the Chief Justice / Patron-in-Chief in consultation with the Executive Chairman and as sanctioned by the Government, from time to time, and shall at the initial constitution of the Service under these rules be such as specified in **Schedule** I annexed to these rules;

Provided that Chief Justice with the prior sanction of the Government may create temporary posts in the cadre of the Service for specified period or purposes as may be considered necessary by the Patron-in-Chief and/or the Executive Chairman from time to time.

(2) The Chief Justice may at the interval of every three years or at such other intervals as may be necessary re-examine the strength and composition of the cadre of the service and make such alterations therein as he may deem fit on the recommendations of the Executive Chairman and with the prior sanction of the Government;

5. Qualification and method of recruitment to the service

- (1) No person shall be eligible for appointment or promotion to any post in any class, category or grade borne on the Service unless he possesses the qualification and experience as laid down in **Schedule II** to these rules, and fulfils other requirements of recruitment as provided in the rules and orders for the time being in force to the Government servants in general.
- (2) Appointment to the Service shall be made:
 - a) by direct recruitment, which shall include appointment by transfer and deputation of persons from amongst the members of the staff borne on the establishment of the High Court and/or of the Subordinate Courts or from the Government.
 - b) by promotion; and
 - c) Partly by-direct recruitment and partly by promotion.

Provided that any such person borne on the establishment of the High Court and/or of the Subordinate Courts, appointed by transfer or deputation, may be permanently absorbed in the Service of the Legal Services Authorities / Committees, subject to his/her possessing the qualification requisite for the post.

Provided further that direct recruitment other than by transfer and deputation shall be made on the basis of Competitive Examination.

Provided further that the selection of candidates shall be made by the Board comprising two or more officers, including the Member Secretary, constituted and/or nominated by the Executive Chairman from time to time.

6. Probation

- (1) Persons appointed to the service by direct recruitment shall be on probation for two years and their confirmation shall be made under the provisions of Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, applicable to the Government Employees of Union territory of Ladakh.
- (2) The pay of a person appointed to the service under these rules shall be regulated as per the provisions of Civil Service Regulations or general rules as issued from time to time by the Government.

7. Reservation in appointments

While making appointments by direct recruitment, other than by transfer or deputation, reservation shall be made in accordance with the rules governing the subject and issued from time to time.

8. Training and Departmental Examination

Persons appointed to the service by direct recruitment shall be required to undergo such training during the course of probation and to pass such departmental examination during the period of probation as may be prescribed from time to time.

9. Eligibility of Government servants for direct recruitment

A person already in Government service may apply through proper channel for direct recruitment to a vacant post in any particular class or category in the Service, if he possesses the educational and other qualifications prescribed for recruitment to such class or category of post. The upper age limit of such Government servants shall be such as provided in the general orders issued by the administration of Union territory of Ladakh from time to time:

Provided that in the case of a post that requires a higher degree or qualification, specialization and/or experience,theExecutive Chairman may higher age limit.

10. Maintenance of seniority lists

Seniority of the members of the service shall be regulated under the Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, applicable to employees of Union territory of Ladakh.

11. Disqualification for appointment

No person shall be qualified for appointment to the Service unless the person is a Resident of Union territory of Ladakh.

Provided that this rule shall not apply to persons allotted service in Union territory of Ladakh under the provisions of section 89 (2) of Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019, or such Rules as may be prescribed by the Administration.

12. Powers to relax

Notwithstanding anything contained in these rules, where the Executive Chairman is satisfied that operation of any rule causes or is likely to cause undue hardship in any particular case, he may, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as he may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner; provided that the case is not dealt with in a manner less favourable to the concerned than in accordance with the rules.

13. Residuary matters

In regard to matters not specifically covered by these rules, the members of the service shall be governed by the rules / regulations and orders applicable to the Civil Services in the Union territory of Ladakh in general.

Provided that where any of the powers relating to the matters mentioned in the above Rules is exercisable by the Government under any rules, the same shall, under these rules, be exercised by the Chief Justice / Patron-in-Chief, and the power vested in the Government in that behalf shall be deemed to vest in the Chief Justice except to the extent where sanction of the Finance Department may be required.

14. Repeal and Savings

- (1) All rules corresponding to these rules and enforce immediately before the commencement of these rules are repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, any appointment, order made or action taken under the provisions of the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of this rules.

15. Interpretation

(1) If there arises any doubt regarding application or interpretation of any of the rules herein contained, the same shall be referred to the Executive Chairman and or the Chief Justice / Patron-in-Chief, as the case may be, whose decision thereon shall be final and binding.

16. Delegation

The Chief Justice/Parton-in-Chief may, by a special or general order, delegate all or any of the powers and functions as conferred or enjoyed under these rules, to the Executive Chairman.

(M.K. Sharma) Member Secretary

Schedule I

[Refer to Rule 4(1) of the Union territory of Ladakh Legal Services Authorities/Committees (Officers and Employees) Recruitment Rule, 2021]

Administrative Cadre

S. No	Designation	Existing Pay Scale	Total No. of Posts
1	2	3	4
01	Member Secretary	As may be applicable to the incumbent of the post.	01
02		As may be applicable to the incumbent of the post	02
03	Under Secretary	Level-8 47600-151100	01 (to be created)

Ministerial Cadre

S. No	Designation	Existing Pay Scale	Total No. of Posts
1	2	3	4
04	Section Officer	Level-7	01
		44,900-1,42,400	(to be created)
05	Head Assistant	Level 6B	01
		35,400-1,12,400	(to be created)
06	Accounts Clerk	Level-6	01
		29,200-92,300	(to be created)
07	Senior Assistant	Level-5	01
		29,200-92,300	(to be created)
08	Steno Typist	Level-5	03
		25,500-81,100	(one to be
			created)
09	Junior Assistant	Level-4	08
		25,500-81,100	(6 posts to be
			created)

Legal Cadre

S. No	Designation	Existing Pay Scale	Total No. of Posts
10	Legal Assistant	Level 6E	01
		35,900-1,13,500	(to be created)
11	Junior Legal	Level-6B	02
	Assistant	35,400-1,12,400	(to be created)

Inferior Cadre

S. No	Designation	Existing Pay Scale	Total No. of Posts
12	Driver	Level-4	03
		25,500-81,100	(to be created)
13	Orderly	S. Level-1	10
		16,900-53,500	(8 posts to be
í			created)

Schedule II

[Refer to Rule 5 (1) of the Union territory of Ladakh Legal Services Authorities/Committees (Officers and Employees) Recruitment Rule, 2021]

Administrative Cadre

S. No	Class	Category	Designation	Existing Scale of Pay	Minimum Qualification on required	Method of requirement
1	2	3	4	5	6	7
1	I	A	Member Secretary	As may be applicable to the incumbent of the post	Not applicable	By Deputation from Higher Judicial Service.
2		В	Secretary District Legal Services Authority (DLSA)	As may be applicable to the incumbent of the post	Not applicable	By Deputation from Judicial Service.
3	II	A	Under Secretary	Level-8 47,600- 1,51,100		i) By promotion from Class III & IX, Category 'A' on the basis of merit-cumseniority with a minimum of three year's substantive service in that class and category. ii) In case there is no candidate available in the aforesaid Class & Category, by deputation from the Department

			of Law &
			Justice.

Ministerial Cadre

1	2	3	4	5	6	7
4	III	A	Section Officer	Level-7 44,900- 1,42,400		i) By promotion from Class V Category 'A' on the basis of merit merit-cum-seniority with a minimum of three year's substantive service in that class and category. ii) By deputation from the Government in case there is no candidate available for promotion.
5	IV	Α	Accountant	Level 6B 35,600- 1,12,800	Not applicable	By deputation from the Finance Department.
6	V	A	Head Assistant	Level 6B 35,600- 1,12,800		i) 50% by promotion from Class VI, Category 'A' and; ii) 50% by promotion from Class VII Category 'B' on the basis of seniority-cummerit with minimum of three year's substantive service in that Class & Category.

7	VI	A	Senior Assistant	Level-5 29,200- 92,300		By promotion from Class VIII, Category 'A' on the basis of seniority-Cum-merit with a minimum of three year's substantive service in that Class & Category.
8	VII	В	Steno-Typist	Level-5 29,200- 92,300	Graduation from any recognized university with proficiency in English Shorthand possessing a minimum of 60 words per minute speed in shorthand and 30 w.p.m. speed in transcription.	i) 50% direct recruitment on the basis of a test in shorthand and transcription. Evaluation of the transcription to be made on the basis of standards set by the Hight Court and; ii) 50% by promotion from Class VIII, Category 'A' on the basis of seniority-cummerit with a minimum of three year's substantive service in that Class & Category, subject to proficiency in English shorthand possessing a minimum of 60 words per minute speed in shorthand and

							30 w.p.m. speed in transcription.
9	VIII	A	Junior Assistant	Level-4 25,500- 81,100	Graduation from any recognized university, possessing knowledge of computer type writing having not less than 35 words speed per minute.	i)	75% by direct recruitment on the basis of competitive Examination; and 25% by promotion from amongst Class XII Category 'A' possessing Matriculation qualification and having at least three years substantive service as such on the basis of seniority, subject to qualifying computer type test requiring a minimum speed of not less than 25 words per minute.

Legal Cadre

1	2	3	4	5	6	7
10	IX	A	Legal Assistant	Level 6E 35-900- 1,13,500		By promotion from Class X, Category 'A' having not less than three years substantive service in that class, on the basis of merit-cumseniority. Merit to
						be determined on

						the basis of ACRs for the last three years.
11	X	A	Junior Legal Assistant	Level 6B 35,900- 1,12,800	Professional Bachelor's Degree in Law from any recognized University.	By direct recruitment on the basis of a competitive Examination.

Inferior Cadre

1	2	3	4	5	6	7
12	XI	A	Driver	Level-4 25,500- 81,100	Matriculation from a recognized Board, possessing a valid LMV/HMV/HGV/PSV licence at the time of recruitment	By direct recruitment. Preference to be given on the basis of length of experience.
12	XII	А	Orderly	S. Level-1 14,800- 47,100	Matriculation from a recognized Board	By direct recruitment on the basis of viva voce to be conducted by the Board.

(M.K. Sharma) Member Secretary

[&]quot;No legal responsibility is accepted for the contents of publication of advertisements/publications in this part of The Ladakh Gazette. Persons notifying the advertisements/public notices will remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc."